आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

29/7/17

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0 29/2005–06
आवेदक– बलिराम सिंह
बनाम
विपक्षी– गणेश घोष वगै0
आदेश

आवेदक द्वारा दिनांक 21.12.2005 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के द्वारा आवेदक की जमीन को अवैध रुप से दखल कर लिया है, जिससे उच्छेद कराना चाहता है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षीगण को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजा गया।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग न0	रकवा
जयरामपुर	101	191	4 बीघा 09 धुर

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गयी। विपक्षी नोटिस प्राप्ति के पश्चात वकालत-नामा के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन उन्हे कई मौका दिये जाने के बावजूद वे सुनवाई में भाग नही लिया। फलस्वरुप एक पक्षीय सुनवाई की गयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना उनका कहना है कि मौजा जयरामपुर ज0न0 101 दाग न0 191 रकवा 04 बीघा 09 धुर जमीन सुकदेव सिंह पे0 स्व0 देवी सिंह, सभापति सिंह पे0 शिव दाहिन सिंह के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत सुकदेव सिंह को एक पुत्र हुए जिसकी मृत्यु नावल्द हो गई तथा खतियानी रैयत सभापति सिंह की भी मृत्यु हो चुका है। सभापति सिंह का सगा भाई तसदीक सिंह उर्फ जमुना को चार पुत्र है जो इस वाद में उनका बडा पुत्र बलिराम सिंह आवेदक है। आवेदक शुरुआत से आज तक सरकार को अधतन लगान भी देते आ रहे है तथा अन्य मौजा शोभापुर, मोकिमपुर ज0न0 451 दाग न0 817 रकवा 01 बीघा 15 कट्टा 14 धुर, ज0न0 451 दाग न0 511 रकवा 09 बीघा 16 कट्टा जमीन, मौजा शोभापुर मोकिमपुर ज0न0 451 के विभिन्न दागो से कुल रकवा 21 बीघा 17 कट्टा 08 धुर सुकदेव सिंह पे0 देवी सिंह व सभापति सिंह व तसदीक सिंह पे0 शिवदाहिन सिंह के नाम से खतियान में दर्ज है। उपर्युक्त मौजा शोभापुर के खतियान को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि तसदीक सिंह के वंशज आवेदक है। सभापति सिंह एवं तसदीक सिंह दोनो सगे भाई है। विपक्षीगण वर्ष 2002 में आवेदक की जमीन पर जोर जबरदस्ती अवैध रुप से अपना अपना मकान बना लिया है। विपक्षीगण के पास उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात नही है। आवेदक के द्वारा मना करने पर एवं घर से हटने के लिए कहने पर जान से मार देने की धमकी देता है। अतएव विपक्षीगण को उक्त जमीन से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद करने की प्रार्थना किया गया है।

विपक्षीगण के विद्धान अधिवक्ता वकालतनाम के साथ इस वाद में उपस्थित हुए है। विपक्षीगण को प्रार्याप्त समय दिये जाने के बावजुद सुनवाई में भाग नही लिया एवं अपने समर्थन में किसी भी प्रकार कोई कागजात एवं कारण पृच्छा या लिखित वहस दाखिल नही किया गया है।

29/7/17

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने पत्र सं0 163/रा0 दिनांक 28.04.2009 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा जयरामपुर ज0न0 101 दाग न0 191 रकवा 04 बीघा 09 धुर जमीन सुकदेव सिंह पे0 देवी सिंह वो सभापति सिंह पे0 शिवदाहिन सिंह के नाम से खतियान में दर्ज है। पंजी–II पृष्ट सं0 86 पर जमावन्दी रैयत सुकदेव सिंह वो सभापति सिंह के नाम होलडींग सं0 86 ज0न0 101 रकवा 15 बीघा 13 कट्टा 18 धुर जमीन दर्ज है जिसका लगान रसीद वर्ष 2007–08 तक निर्गत किया गया है। विपक्षीगण उक्त जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। विपक्षीगण ने बताया कि गंगाकटाव पीडित है एवं 2002 से ही उक्त जमीन पर अवैध रुप से घर बनाकर निवास कर रहे है। जमाबन्दी रैयत सुकदेव सिंह वो सभापति सिंह दोनो मृत है आवेदक खतियानी रैयत सभापति सिंह के भतीजा है। परन्तु उनके द्वारा कोई वंशावली प्रमाण पत्र, संवंधित कागजात प्रस्तुत नही किया है। खतियानी रैयत सुकदेव सिंह के एक पुत्र रामदिन सिंह था जो कुंवारे में मर गये एवं सभापति सिंह को कोई वारिसान नही था उक्त जमीन पर सही उत्तराधिकारी संबंधि कागजात एवं प्रमाण पत्रो के आधर पर ही उचित कानुनी कारवाई की जा सकती से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया गया है:–

1. मौजा जयरामपुर ज0न0 101 सुकदेव सिंह पे0 स्व0 छेदी सिंह वो सभापति सिंह पे0 शिवदहिन सिंह के नाम से खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
2. मौजा शोभापुर माकिमपुर ज0न0 451 सुकदेव सिंह पे0 देवी सिंह वो सभापति सिंह के नाम से खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
3. मौजा जयरामपुर ज0न0 101 रकवा 15 बीघा 13 कट्टा 18 धुर जमीन सुकदेव सिंह दीगर के नाम से विभिन्न वर्षो का लगान रसीद की छाया प्रति।
4. मौजा मोकिमपुर ज0न0 451 रकवा 18 बीघा 15 कट्टा 15 धुर जमीन सुकदेव सिंह दिगर के नाम से विभिन्न वर्षो का लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल कागजातो तथा अंचल अधिकारी, राजमहल के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा जयरामपुर ज0न0 101 दाग न0 191 रकवा 04 बीघा 09 धुर जमीन खतियान में सुकदेव सिंह पे0 देवी सिंह, सभापति सिंह पे0 शिवदाहिन सिंह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत मृत है। आवेदक खतियानी रैयत सभापति सिंह का भतीजा है। विपक्षीगण गंगाकटाव से पीड़ित है एवं वर्ष 2002 से ही अवैध रुप से कार्यवाही वाली जमीन पर मकान बनाकर रह रहे है। विपक्षीगण अपने समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नही किया है और ना ही अपना पक्ष रखा है।

उपर्युक्त तथ्यो पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक खतियानी रैयत के वारिसान है। जबकि विपक्षीगण कार्यवाही वाली भूमि मौजा जयरामपुर ज0न0 101 दाग न0 191 रकवा 04 बीघा 09 धुर जमीन पर अवैध दखलकार है। अतएव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अधीन विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजमहल एवं थाना प्रभारी, राजमहल को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

29/7/12

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

29/7/12

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner